www.ecourtsindia.com

WitnessNo.........01................for......prosecution...............Deposition taken the.04/04/2024..........dayof................Witnessˈsapparent age.....40....Years States on affirmation........................my name is .तुलसीराम नुरेटी.................... son/Wife/D.of..स्व०मंगल नुरेटी..........occupation........कृषि................................... address.ग्राम राधा थाना केशकाल जिला- कांकेर......................................

Time04.41pm

<u>शपथपूर्वक–</u>

1. मै आरोपी हीरालाल यादव को नहीं जानता हूॅ,मृतक सगरूराम नुरूटी व फुलसिंह नरेटी को जानता हूॅ ये दोनो क्रमशः मेरे भतीजा और भैय्या थे।

2. घटना आज से एक साल पहले पेट्रोल पंप के सामने मेन रोड़ सिंगनपुर की है। घटना दिनांक को मै अपने मोटर सायकल में हाटचपाई देवता काम से जाने के लिए निकला था। उससे एक घण्टा पहले मेरे भैय्या फुलसिंह नरेटी में अपने पुत्र सगरूराम नुरूटी के साथ मोटर सायकल से हाटचपाई देवता काम के शामिल होने के लिए घर से निकले थे। मै सिंगनपुर के पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने के लिए गया तो देखा तो मेरा भतीजा सगरूराम पेट्रोल पंप के सामने रोड़ किनारे नाली में ट्रक के घसीटने से मृत अवस्था में पड़ा हुआ था एवं ट्रक रोड़ किनारे पलटा हुआ था।

3. मै वहां उपस्थित कुछ लोगों से अपने भैय्या फुलसिंह नरेटी के संबंध में पूछा तो उन लोग बताये फुलसिंह को ईलाज हेतु केशकाल ले गये है एवं सिंगनपुर के लोगों ने ट्रक चालक को पीटाई कर पुलिस के हवाले किये थे। फिर मै अपने भतीजा सगरूराम के शव को उठाकर

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/CGKG030000982023/truecopy/order-1.pdf

www.ecourtsindia.com

सी०एच०सी०केशकाल लाया था एवं थाना जाकर भतीजा सगरूराम की ट्रक रोड़ एक्सीडेंट से मृत्यु होने की मर्ग सूचना दर्ज कराया था,**जो प्र०पी० 01 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है**। पुलिस वाले भतीजा के सगरूराम के मृत्यु जांच में उपस्थित होने के लिए मुझे नोटिस दिये थे, **नोटिस प्र०पी० 02 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है**। मेरे भैय्या फुलसिंह का ईलाज के दौरान घटना के पांचवे दिन रायपुर के अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

4. फिर मै ट्रक चालक के विरूद्ध थाना केशकाल में रिपोर्ट दर्ज करवाया था **जो प्र०पी० 03 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है** । पुलिस वाले जांच में घटना स्थल सिंगनपुर मेन रोड़ आये थे और मेरे समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किये थे **जो प्र०पी० 04 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है** । मै पुलिस को घटना के संबंध मे बयान दिया था।

<u>प्रतिपरीक्षण वास्ते आरोपी हीरालाल यादव द्वारा श्री महेश बघेल अधिवक्ता :–</u>

5. यह कहना सही है कि मेरे भैय्या और भतीजा मुझसे एक घण्टे पूर्व घर से निकले थे। यह कहना सही है कि सिंगनपुर पेट्रोल पंप के पास आने के बाद मै देखा की मेरे भतीजे का एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी और मेरे भैय्या को अस्पताल ले गये थे। यह कहना सही है कि मै बाद में अस्पताल लेकर अपने मृत भतीजा सगउ को लेकर आया था। यह कहना सही है कि मै अपने

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/CGKG030000982023/truecopy/order-1.pdf

भाई और भतीजा के पीछे पीछे नहीं आ रहा था एक घण्टा बाद आया था। यह कहना सही है कि मैने पुलिस को भी वैसे ही बताया था। यह कहना सही है कि मै दुर्घटना कैसे हुई नहीं देखा था इसलिए नहीं बता सकता कि दुर्घटना कैसे हुई थी।

6. यह कहना सही है कि पुलिस ने मेरे प्र०पी० 01 मर्ग इंटिमेशन व प्र०पी० 03 प्रथम सूचना पत्र में कोई अन्य बाद लिखी हो तो मै नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मै घटना के समय ट्रक वाहन को कौन चला रहा था नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मुझे ट्रक का नंबर मालूम नहीं है। मैने पुलिस को ट्रक का नंबर नहीं बताया था। यह कहना सही है कि मेरे पुलिस कथन में क्या लिखा गया है पुलिस ने नहीं बताया था।

Time 05.09pm

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया गया

सही/-
(कु० अंजली सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
केशकाल ,जिला कोण्डागांव

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/-
(कु० अंजली सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
केशकाल ,जिला कोण्डागांव

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/CGKG030000982023/truecopy/order-1.pdf

www.ecourtsindia.com